govt-modelcollegednt@cg.gov.in
www.govtmodelcollegedantewada.in
+91 - 7898703950

कार्यालय– प्राचार्य

वीरांगना मासक देवी नाग शासकीय नवीन आदर्श महाविद्यालय, जावंगा

जिला– दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.), पीन– 494441

[इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से मान्यता प्राप्त डिग्री कोर्स संचालित]

क्रमांक / 279 /स्था./विज्ञापन/2026 जावंगा, दिनांक **19/08/2026**

// सत्र 2026–27 अंतर्गत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य का आमंत्रण //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रं. **ESTB-2035/637/2026-RAJPATRIT STHAPANA**, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.08.2026 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026–27 में शासकीय महाविद्यालयों के रिक्त प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों पर छ.ग. अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) में उल्लेखित मापदण्डों के अनुसार अतिथि व्याख्याताओं/अतिथि शिक्षण सहायकों की व्यवस्था की अनुमति प्रदान की गई ह। कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर के पत्र क्रं./69/ 44/आउशि/योजना/2024, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 31.07.2024 के माध्यम से विभाग के द्वारा सत्र 2024–25 अंतर्गत स्ववित्तीय मद से विषय/संकाय Bachelor of Performing Arts (B.P.A.) एवं Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) प्रारंभ किया गया था। **वीरांगना मासक देवी नाग शासकीय नवीन आदर्श आवासीय महाविद्यालय, जावंगा, जिला– दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा** में विषय (निम्न सारणी अनुसार) में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 29.08.2026 को सायं 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

2. आयु सीमा– अतिथि व्याख्याता/ अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।

3. छ.ग. में अतिथि व्याख्याता भर्ती नियमों के अनुसार, यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो राज्य के मूल निवासी को वरीयता दी जाएगी।

Akyadav

विषय/पदों का विवरण :–

क्रमांक	विषय	स्ववित्तीय मद स अतिथि व्याख्याता अथवा अतिथि शिक्षण सहायक हेतु रिक्त पद कीं संख्या
1	Painting	1
2	Sculpture	1
3	Graphics	1
4	Folk Music	1

उक्त विषय स्ववित्तीय मद के अंतर्गत संचालित होने के कारण आमंत्रण, राशि की अनुलब्धता अथवा अन्य कारणों से किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

शर्तें :–

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10 वीं, 12 वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल. /पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 29.08.2026 तक कार्यालय समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 01.09.2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट (www.govtmodelcollegedantewada.in) पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 03.09.2026 (संध्या 5:30 बजे) तक होंगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 05.09.2026 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
8. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/ न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिकायत/ कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. अतिथि व्याख्याता के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–
    - अतिथि व्याख्याता मानदेय– 2000/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50,000/–)
    - अतिथि शिक्षण सहायक मानदेय– 1400/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35,000/–)
11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार कर पता **वीरांगना मासक देवी नाग शासकीय नवीन आदर्श आवासीय महाविद्यालय, जावंगा,** (गीदम) जिला– दन्तेवाड़ा, पीन– 494441 एवं आवेदित विषय/ पद आवशयक रूप से लिखें।
12. अतिथि व्याख्याता/ अतिथि शिक्षण सहायक के लिए प्रतिदिन 07 घंटे कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।
13. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों

में ये सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण कार्य करेंगे। उक्त के साथ–साथ प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा समय–समय पर सौंपे गये सभी कार्यों का अनिवार्यतः निष्पादन करेंगे।

14. अतिथि व्याख्याता/ अतिथि शिक्षण सहायक को प्रत्येक शिक्षण सत्र में 11 आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। स्वीकृत आकस्मिक अवकाश दिवस पर मानदेय देय होगा तथापि, शासकीय आवकाश दिवसों को कार्य दिवसों की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
15. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।
16. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत् यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
17. इन्हें सर्वत्र अनुशान बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
18. किसी भी अतिथि व्याख्याता के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच सही पाये जाने पर संबंधित को 07 दिवस का कारण बताओ सूचना जारी किया जावेगा एवं उत्तर समाधन कारक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्राचार्य द्वारा संबंधित की व्यवस्था समाप्त करने का सूचना जारी किया जावेगा।
19. अतिथि व्याख्याताओं के कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–5) में संधारित किया जावेगा। मूल्यांकन परिणाम असंतोषजनक होने की स्थिति में संबंधित को संसूचित करते हुए आगामी शिक्षा सत्र में कार्य मे सुधार लाने हेतु चेतावनी जारी की जायेगी।
20. अतिथि व्याख्याताओं को शैक्षणिक कार्य के साथ–साथ कंडिका 7 में दर्शित शैक्षणेत्तर कार्य भी रूची एवं तत्परता से पूर्ण करना होगा। शैक्षणेत्तर कार्य हेतु मूल्यांकन प्रारूप (परिशिष्ट–5) में पृथक से 10 अंक निर्धारित हैं।
21. जिन विषयों के अतिथि व्याख्याताओं का मूल्यांकन निरंतर 03 बार संतोषजनक नहीं पाया जायेगा उन्हें आगामी सत्र में पुनः आमंत्रित न किया जाकर विज्ञापन के आधार पर संबंधित विषय में अतिथि व्यवस्था की जावेगी।

नोडल अधिकारी
बी.पी.ए / बी.एफ.ए.
शासकीय आदर्श आवासीय
महा., जावंगा, जिला– दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

(डॉ. विवेक शर्मा)
प्राचार्य
शासकीय आदर्श आवासीय
महा., जावंगा, जिला-दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 280 / स्था. / विज्ञापन / 2026 जावंगा, दिनांक **19 / 08 / 2026**

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक– सी 30 द्वितिय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन अटल नगर, रायपुर (छ0ग0) का सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अपर संचालक, बस्तर संभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जगदलपुर को सूचनार्थ।
4. प्राचार्य समस्त शासकीय महाविद्यालय..की नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु सूचनार्थ
5. समस्त शासकीय कार्यालय..के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
6. स्थापना एवं लेखा शाखा।

नोडल अधिकारी
बी.पी.ए / बी.एफ.ए.
शासकीय आदर्श आवासीय
महा., जावंगा, जिला– दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

(डॉ. विवेक शर्मा)
प्राचार्य
शासकीय आदर्श आवासीय
महा., जावंगा, जिला-दन्तेवाड़ा (छ.ग.)